न्यायालय, मुख्य नियन्त्रक, राजस्व प्राधिकारी/राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या–16/2015–16 अन्तर्गत धारा–56 स्टाम्प एक्ट।

1– श्रीमती अख्तरी बेगम पत्नी लियाकत अली, निवासी–ग्राम भारूवालाग्रान्ट, जिला देहरादून।

बनाम

1– उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून, 2. कलेक्टर, देहरादून।

उपस्थित : पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकत्री : श्री सुनील त्यागी।

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री विनोद कुमार डिमरी, जि0शा0अधि0, राजस्व।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकत्री ने कलेक्टर स्टाम्प/अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व द्वारा स्टाम्प वाद संख्या–182/वर्ष 2013–14 सरकार बनाम अख्तरी बेगम अन्तर्गत धारा–47ए स्टाम्प अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 06–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत है:–

निगरानीकत्री ने मौजा भारूवाला में भूमि खसरा संख्या–57क, 52क व 239क क्षेत्रफल 0.2868 है0 विक्रय पत्र दिनांक 22–10–2013 से क्रय किया जिसके सम्बन्ध में उप निबन्धक (प्रथम) देहरादून ने अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, देहरादून को दिनांक 08–11–2013 को यह आख्या भेजी कि लेखपत्र में पक्षकारों द्वारा विक्रीत सम्पत्ति को किस प्रयोजन (आवासीय/कृषि) हेतु क्रय की जा रही है का उल्लेख नही किया गया तथा भूमि के प्रकार में सिचित होने का उल्लेख किया गया है न कि कृषि भूमि तथा भूमि नॉन जेड ए में वर्णित है तद्नुसार आवासीय दर से मूल्यांकन कर कमी स्टाम्प शुल्क का प्रकरण कलेक्टर, स्टाम्प को प्रस्तुत किया गया जिसपर निगरानीकत्री को पंजीकृत नोटिस भेजा गया जो इस टिप्पणी के साथ कि– पता नही चला वापस–प्राप्त हुआ तद्नुसार विद्वान अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व ने दिनांक 06–12–2014 को आक्षेपित आदेश पारित कर निगरानीकत्री पर कमी स्टाम्प शुल्क तथा अर्थदण्ड आरोपित किया। इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी निदेशित है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उपलब्ध अभिलेखों का भली भांति अवलोकन किया।

अवर न्यायालय की पत्रावली में निगरानीकत्री को जो नोटिस भेजा गया है वह अदम तामील वापस प्राप्त हुआ है तथा उसके पश्चात नोटिस तामीली हेतु कोई प्रयास नही किया गया है यदि पंजीकृत नोटिस अदम तामील वापस प्राप्त हुआ था तो विद्वान अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व को चाहिए था कि वह अन्य माध्यमों से नोटिस तामील करवाते तथा निगरानीकत्री को सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही विधिसम्मत आदेश पारित करते। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के दृष्टिगत निगरानीकत्री को सुना जाना आवश्यक है। अतः आक्षेपित आदेश उपर्युक्त के दृष्टिगत अपास्त होने योग्य है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 06–12–2014 अपास्त कर प्रकरण विद्वान अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व को इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारों को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर ही विधिसम्मत आदेश पारित करें। पक्षकार दिनांक 04–12–2016 को अवर न्यायालय में उपस्थित हो। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित की जाए।

(पी0एस0जंगपांगी)
मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी,
सदस्य (न्यायिक)

आज दिनांक 24–10–2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी,
सदस्य (न्यायिक)